

प्रेषक,

डा० वी० षण्णमुगम,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून: दिनांक: 22 अगस्त, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक - 697/15 बजट (के०स०नि०)/2017-18 दिनांक 20.7.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-22 में केन्द्रीय सड़क निधि (सी०आर०एफ०) योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि रु० 10000.00 लाख ((रुपये एक अरब मात्र) में से प्रथम किस्त के रूप में संलग्न विवरण में अंकित कार्यों हेतु रु० 5000.00 लाख ((रुपये पचास करोड़ मात्र) व्यय किये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त धनराशि का व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 टैण्डर विषयक नियमों एवं सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- (2) सम्बन्धित कार्य हेतु अनुबंधित संस्थाओं को उनके साथ हुए अनुबंध/एम०ओ०यू० में भुगतान की निहित शर्तों के अनुसार आवश्यकतानुसार ही कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 तथा शासनादेश सं० 610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा साथ ही उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-252/111(3)/2011-901(ए०डी०बी०)/2008 दिनांक 06.06.2011 में उल्लिखित बिन्दुओं/व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (4) भारत सरकार द्वारा नियमानुसार स्वीकृत कार्यों पर ही स्वीकृत लागत के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा तथा कार्य पूर्ण करने की समयवृद्धि भारत सरकार को मान्य व्यवस्था अनुसार प्राप्त कर लेने व उसी समयवृद्धि में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा स्वीकृति विशेष की शर्तों/प्रतिबन्धों की अनुपालना की जायेगी।

- (6) व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष तत्काल प्रतिपूर्ति दावा प्रेषित किया जायेगा एवं भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी। पूर्व अवमुक्त राशि के सापेक्ष प्रतिपूर्ति दावा तत्काल प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- (7) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.07.2007 एवं अधिसूचना दिनांक 24.07.2014 के अनुसार क्रमशः केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम-2007 व नियम-2014 के समस्त दिशा-निर्देशों, उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) आगणन में ली गयी सभी दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं तथा उन दरों को बाजार भाव से अथवा रेट कांन्ट्रेक्ट से लिया गया है तो उसकी स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से प्राप्त करनी होगी, उसी के अनुसार आगणन में दरें अनुमन्य होंगी।
- (9) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (10) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय तथा आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग कर लिया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसके शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग करके उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मदवार व्यय विवरण देने के बाद ही अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं० 22 के लेखा शीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत व्यय परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0102-केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया कार्य (100%/के०स०) (5054-04-800-01-05 से स्थानान्तरित) 24- वृहत निर्माण कार्य, के नामें डाला जायेगा।
- 3- उक्त स्वीकृत रू० 5000.00 लाख (रुपये पचास करोड़ मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट माध्यम से संलग्न विवरणानुसार अलोटमेंट आई०डी० सं०- S 170822023 दिनांक 22.8.2017 द्वारा आवंटित कोड सं० -4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।
- 4- यह आदेश वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के अशा० सं० 338 /XXVII(2)/2017, दिनांक 22.8.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

21. km

भवदीय
(डा० वी० षण्मगम)
अपर सचिव।

क्रमशः...3

संख्या: 647 (1)/III(3)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
6. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ब्रिजज, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिसासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 647 / 111(3)/2017-01(सी.आर.एफ.)/2012 दिनांक 24 अगस्त, 2017 का संलग्नक।

क्र० सं०	कार्य का नाम	खण्ड का नाम	स्वीकृत लागत	(धनराशि रु० लाख में)	
				दिनांक 01.4.2017 को अवशेष	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जनपद हरिद्वार के नारसन-हरजौली, जट- मुंडलाना-लण्डौरा-जौरासी- बुडढाहेड़ी-बढ़ेड़ी राजपुताना तक मो० मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण, पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य एवं सेतुओं का निर्माण कार्य।	नि०ख० रुडकी	4434.25	395.70	150.00
2	रोशनाबाद-बिहारीगढ राज्य मार्ग के किमी० 31.61 में तेलपुरा के समीप 240 मी० स्पान का पी०एस०सी० सेतु का निर्माण।	रा०मा०ख० रुडकी	1325.76	20.72	20.72
3	रोशनाबाद-बिहारीगढ मोटर मार्ग के किमी० 24 पर कुड़कावाला में रायघाटी नदी पर 391.25 मी० लम्बाई के सेतु का निर्माण।	रा०मा०ख० रुडकी	3907.65	31.05	31.05
4	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रिची-बिलेख-भूजान मोटर मार्ग के किमी० 1.300 से किमी० 33.570 तक मार्ग का सुधार।	रा०मा०ख० रानीखेत	2456.00	1855.00	800.00
5	जनपद अल्मोड़ा के घट्टी-बासोट-भिकियासैण मोटर मार्ग का किमी० 0 से किमी० 21 तक का मार्ग सुधार।	रा०मा० ख० रानीखेत	1585.00	884.00	700.00
6	जनपद पिथौरागढ में राज्य मार्ग सं० 06 बेरीनाग-थल- डीडिहाट में राइडिंग क्वालिटी का सुधार कार्य।	रा०मा० ख० लोहाघाट	2018.00	1717.00	650.00
7	भुजान-रिची-बिलेख मोटर मार्ग पर 80 मी० स्पान का स्टील ब्रिज का निर्माण कार्य।	रा०मा० खण्ड हल्द्वानी	1329.26	1078.26	350.00
8	जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 (नया नं० 309) के किमी० 173.00 के नईया नदी पर 2 X 24 मीटर स्पान के 2-लेन आर०सी०सी० सेतु का निर्माण।	रा०मा० खण्ड हल्द्वानी	573.69	412.07	50.00
9	जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 (नया नं० 309) के किमी० 163.00 के बहेला नदी पर 1 X 36 मीटर स्पान के 2-लेन आर०सी०सी० सेतु का निर्माण।	रा०मा० खण्ड हल्द्वानी	489.23	408.01	50.00
10	जनपद हरिद्वार में रोशनाबाद-बिहारीगढ मार्ग के सुदृढीकरण का कार्य लम्बाई 32.00 किमी०।	रा०मा० ख० रुडकी	1397.01	1205.84	600.00
11	जनपद हरिद्वार में लेबल कॅसिंग संख्या-507 (दोसनी)में 2-लेन आर०ओ०बी० का निर्माण कार्य।	रा०मा० ख० रुडकी	2901.57	2145.19	450.00
12	जनपद हरिद्वार में लेबल कॅसिंग संख्या-524 (चुड़ियाला)में 2-लेन आर०ओ०बी० का निर्माण कार्य।	रा०मा० ख० रुडकी	2710.94	1911.00	428.23
13	जनपद देहरादून में जौलीग्रान्ट-थानों-रायपुर- सहस्त्रधारा मोटर मार्ग के किमी० 12.00 में 210 मी० आर०सी०सी० सेतु का निर्माण।	रा०मा० ख० रुडकी	1791.72	954.13	320.00
14	जनपद देहरादून में जौलीग्रान्ट-थानों-रायपुर- सहस्त्रधारा मोटर मार्ग के किमी० 14.00 में 75 मी० आर०सी०सी० सेतु का निर्माण।	रा०मा० ख० रुडकी	884.73	614.83	200.00
15	जनपद देहरादून में जौलीग्रान्ट-थानों-रायपुर- सहस्त्रधारा मोटर मार्ग के किमी० 16.00 में 90 मी० आर०सी०सी० सेतु का निर्माण।	रा०मा० ख० रुडकी	849.07	588.61	200.00
योग:- (कम सं० 1 से 14 तक)			28653.88	14221.41	5000.00


(रुपये पचास करोड़ मात्र)

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

लेखा शीर्षक : 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 337 - सड़क निर्माण कार्य
 01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
 02 - केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया कार्य (100 %के0स0) (5054-04-800-01-05 से स्थानान्तरित)
 04 - जिला तथा अन्य सड़के

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted
			योग
24 - बहत निर्माण कार्य	0	500000000	500000000
	0	500000000	500000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 500000000


 (विनय कुमार पुनेटा)
 अनु सचिव,
 लोक निर्माण विभाग
 उत्तराखण्ड शासन।

संख्या: / 111(3)/2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, अधिशासी अभियन्ता, कृते महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव, भारत सरकार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, (अनुभाग-1) परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग नई दिल्ली को उनके पत्र
दिनांक 20.07.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।